

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

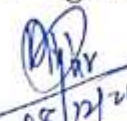
अभिलेख वाद सं०— 242/2012-18

वाद का प्रकार:— बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
9.11.2022	Covid-19 के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि संबंधित को नोटिस निर्गत कर पुनः अभिलेख का संधारण करे। अभिलेख दिनांक <u>8.12.2022</u> को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	
8.12.2022	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सह-पठित —श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू- अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०- 914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा० दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमि:— मौजा <u>हुलखुम</u> थाना नं० <u>0317</u> खाता सं० <u>42</u> प्लॉट सं० <u>1137</u> रकबा <u>0.61</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म अनावाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द सं० <u>I</u> के पृष्ठ सं० <u>111</u> पर जमाबंदी रैयत <u>शम्भू लाल (गौरी प्रसाद) निमोदर लाल</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना राक्षग प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।	

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.2022 को उपस्थापित करें।


05/12/22
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

4.12.22 अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में अनुमण्डल पदाधिकारी, छत्तरपुर द्वारा निर्गत बन्दोबस्त वाद सं० 314/2002-03 की हज्जत प्रती

समर्पित किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 7.01.2023 को उपस्थापित करें।


12/22
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

7.01.23 अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा हुमसम मौजा नं० 0312 खाता सं० 42 प्लॉट सं० 1137 etc रकबा 0.61.00 किस्म — खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत को उक्त भूमि सक्षम प्राधिकार अनुमण्डल पदाधिकारी, छत्तरपुर से बन्दोबस्त वाद सं० 314/2002-03 से प्राप्त है। अंचल में संधारित बन्दोबस्त पंजी से मिलान करने पर उक्त वाद सही पाया गया। बन्दोबस्तधारी / बन्दोबस्तधारी के वंशजों का उक्त भूमि पर दखल कब्जा है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त भूमि पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) की कार्रवाई करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।


07/01/23
अंचल अधिकारी
छत्तरपुर।

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - जलपथ, हरदोय

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
राजेंद्र प्रसाद 30	हुमना	0317	42	1137-	016	30 माद	अंठ माद
सिद्धा माद 10				989-	004		
सुबरी रंजीत 10				970-	002		
बाबू जीवा				1129-	038		
करी					0615		

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- पत्थी खेत

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- वर्ष 2002-03

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मियों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :- सुभाष पदाधिकारी द्वारा बंदोबस्त 31/5/2002-03

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- N.A

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिवंधित सादा हुकुमनामा :- N.A

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :- N.A

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :- बंदोबस्त 31/5/2002-03

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये से कम या इससे अधिक) :- N.A

अवैध जमाबंदी की जाँच किरा राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वास्तिल रिटर्न से

(ख) अंचल / अनुमंडल में संचारित बंदोबस्ती पंजी से

(ग) वास्तिल-खारिज / भू-उत्पत्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

अंगल कागजात
मे सोई बंदोबस्ती
पंजी, यादु मीन पंजी
1. एवं खतिआन

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व से कायम है :- **नहीं**

(ख) क्या दिनांक-01.01.1948 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत **नहीं**
जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :-

11. क्या दिनांक-01.01.1948 के बाद से 1955-58 तक जमीनदारी रसीद **नहीं**
तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :-

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड - बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध **नहीं**
जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

प्रतिवेदन भूकृ मीना-हाराख खाना 42 ब्लॉक 1137. एवं अन्य खाना 061 एवं 2 फुट
का मोग पंजी 1 के पंजी नं. 11012 एवं 11013 में निर्गत किया निम्नलिखित जोड़ा एवं अन्य के नाम से
दिए हैं। मोग पंजी 1 में दर्ज होने का आधार बंदोबस्ती से 31/12/2003 अनुमंडल
कागजात द्वारा निर्गत है। उक्त भूकृ में मोग पंजी मालिक खाने की भूकृ है मोग
उक्त भूकृ पर मालिकी दर्ज कराना है इसीलिए ने भर जमाबंदी अर्जदारी
नहीं हो रहा है

आ. उपरके जमाबंदी पर ~~कानून~~ धारा 4(h) BLR Act 1950 के
अधीन प्रतीत हो रहा है

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन जाँच प्रतिवेदन का
जाँच किया, सही पाया। अतः उपरके जमाबंदी पर धारा 4(h)
BLR, Act 1950 के अधीन प्रतीत हो रहा है।





अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता,
छत्तरपुर।

अनुमंडल पदा.,
छत्तरपुर।

अपर समाहर्ता,
पलामू।

उपायुक्त,
पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- *N/A*
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या पृष्ठ सं: *111/1* पर कायम है।

मौजा	धाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
<i>डुमरा</i>	<i>0317</i>	<i>42</i>	<i>1137 खेसरा</i>	<i>0.61 ए०</i>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- *वर्ष 2002-03 से*
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- *श्रीमान महेश भास्कर*
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- *अनुमंडल मजिस्ट्रेट सादर*
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- *N/A*
7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार *बंदोबस्ती नदर से 3/6/2002-03*
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :-
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<i>1</i>	<i>4948687</i>	<i>17-06-09</i>	<i>वर्ष 2009-10</i>
<i>2</i>	<i>0670203615</i>	<i>26-07-2021</i>	<i>2021-22</i>

PSI

PSI

PSI

कमप्लाय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

बाद अमिलेख सं० 242 / 20¹⁷⁻¹⁸ (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना
नाम राजदेव लोहरा पत्नी
पिता - जम्मोद्वार लोहरा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा होराम थाना नं०.....
खाता सं० 42 खेसरा नं० 1137 रकबा 0.61 से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० 5 के पंजी-II भाग के पृष्ठ 111 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्ट्या राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा
कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जानिए

9771032504

वकील के लाल रेती



अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।